Form- 1

(for linear projects)

Government of Rajasthan

Office of the District Collector Ajmer

No. 1337 Dated 21/5/18

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition Of Forest Rights) Act, 2006 (FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th feb.2013, wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.0027 **Hectare** of forest landin Gram Tokra and Gram panchayat khatoli forest division Ajmer proposed to be diverted in favour of Director, Airport Authority Of India, Kishangarh Airport,Kishangarh for Obstruction Light works falls in Ajmer District within Jurisdiction of Khatoli village in Kishangarh Tehsil.

It is further certified that :

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out the entire 0.0027 **Hectare** of forest area proposed for diversion. There are no such Forest Dwellers Scheduled Tribes persons residing in the proposed area with rights Scheduled Tribe and other Traditional forest Dwellers (Recognition of Forest rights) Act 2006. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha (s), Sub-division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as **annexure 1** to 11 **annexure**.

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and. the Gram Sabhas have given their consent to it.

(c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl;As above

E.S. SAINI
Asst. Manager Engg. Elect.
Airport Authority of India
Kishangarh Aiport (Ajmer)

(Arti Dogra)
District Collector
Ajmer

कार्यालय जिला परिषद,अजमेर

क्रमांक : जिपअ / वन अधिकार / 2018 / दिनांक:

श्रीमान जिला कलक्टर,
अजमेर।

विषय :– किशनगढ एयरपोर्ट की एप्रोस से पहाडी पर Obstruction Light लगवाने हेतु एफआरए प्रमाण पत्र हेतु जिला स्तरीय परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अंतर्गत अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवास नही करने का प्रमाण पत्र जारी करने हेतु।

प्रसंग :– आपके कार्यालय के पत्रांक कअ / राजस्व / 2018 / 4281 दिनांक 01.05.18

महोदय,

उपरोक्त विषय तथा प्रासंगिक पत्र के कम में किशनगढ एयरपोर्ट की एप्रोस से पहाडी पर Obstruction Light लगवाने हेतु एफआरए प्रमाण पत्र चाहा गया था। इस हेतु जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की जा कर एफ0आर0ए0 प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है। अतः जिला स्तरीय समिति की बैठक कार्यवाही विवरण मय एफ0आर0ए0 प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :– उक्तानुसार।

भवदीय,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद अजमेर

क्रमांक : जिपअ / वन अधिकार / 2017 / 1339-44 दिनांक: 21/5/18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. उप वन संरक्षक,अजमेर।
2. उपखण्ड अधिकारी,किशनगढ।
3. निदेशक, विमानपत्तन किशनगढ हवाई अडडा, किशनगढ जिला अजमेर को मय एफआरए प्रमाण पत्र की प्रति के।
4. सर्वश्री...सदस्य जिला परिषद,अजमेर।

C.S. SAINI
Asst. Manager Engg. Elect.
Airport Authority of India
Kishangarh Airport (Ajmer)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद अजमेर

(1)

कार्यालय जिला परिषद, अजमेर

क्रमांक / जिपअ / वन अधिकार / 2018 / 1270 दिनांक 9/5/18

बैठक सूचना

श्रीमान जिला कलक्टर अजमेर के निर्देशो के तहत परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत निदेशक, विमानपतन किशनगढ हवाईअडडा किशनगढ द्वारा ग्राम टोकड़ा ग्राम पंचायत रलावता के खसरा नं. 238 से 239 मे से 0.0027 है. भूमि वन भूमि प्रत्यारोपण करने हेतु F.R.A. CERTIFICATE चाहा गया है।

वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत F.R.A. CERTIFICATE जारी करने हेतु जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 11–05–2018 को 11.00 बजे श्रीमान जिला कलक्टर महोदय की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आमन्त्रित की जा रही है । सदस्यों से निवेदन है कि कृपया बैठक में पधारने का श्रम करावें ।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, अजमेर।

क्रमांक :– जिपअ / वन अधिकार / 2018 / 1271-73 दिनांक :– 9/5/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. श्रीमान जिला कलक्टर, अजमेर ।
2. उप वन संरक्षक, अजमेर ।
3. निजी सहायक मुख्य / अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, अजमेर ।
4. उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ
5. निदेशक विमानपतन, किशनगढ हवाईअडडा, किशनगढ।
6. श्री शिवराज भील, जिला परिषद सदस्य, अजमेर।
7. श्रीमती सरोज देवी, जिला परिषद सदस्य, अजमेर ।
8. श्रीमती डॉ0 अनिता बैरवा, जिला परिषद सदस्य, अजमेर।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, अजमेर

C.S. SAINT
Asst. Manager Engg. Elect.
Airport Authority of India
Kishangarh Aiport

कार्यालय जिला परिषद, अजमेर

बैठक उपस्थिति दिनांक 11.05.2018

परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत बैठक में निम्नलिखित सदस्य/अधिकारीगण उपस्थित हुये :–

क.स.	नाम अधिकारी/सदस्य	पद	हस्ताक्षर
1	सुश्री आरती डोंगरा	जिला कलक्टर अजमेर	
2	श्री अजय चित्तोडा	उप वन संरक्षक,अजमेर	
3	श्री अरूण गर्ग	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद,अजमेर	
4	श्री गजेन्द्रसिंह पंवार	उप वन संरक्षक, जिला परिषद,अजमेर	
5	श्री अशोक कुमार	उपखण्ड अधिकारी,किशनगढ	
7	श्री अशोक कपूर	निदेशक, विमानपतन,किशनगढ हवाई अडडा, किशनगढ	
8	श्री शिवराज भील	जिला परिषद,सदस्य	
9	श्रीमती सरोज देवी	जिला परिषद,सदस्य	सरोज मेघवाल

C.S. SAINT
Asst. Manager Engg. Elect.
Airport Authority of India
Kishangarh Airport (Ajmer)

(3)

कार्यालय जिला परिषद,अजमेर

क्रमांक : जिपअ / वन अधिकार / 2018 / 1336 दिनांक: 21/5/18

बैठक कार्यवाही विवरण

जिला स्तरीय परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 11.05.2018 का कार्यवाही विवरण :–

जिला स्तरीय परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक **11.05.2018** को सभागार जिला कलेक्ट्रेट, अजमेर में जिला कलक्टर महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई । बैठक में प्राप्त निम्न प्रस्ताव पर चर्चा की गई :–

प्रस्ताव :–श्रीमान कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजमेर के पत्रांक 4281 दिनांक 01.05.218 के क्रम में निदेशक, विमानपतन किशनगढ हवाई अडडा किशनगढ द्वारा ग्राम टोकडा ग्राम पंचायत खातोली के खसरा नं. 238 से 239 मे से 0.0027 है. भूमि वन भूमि प्रत्यारोपण करने हेतु F.R.A. CERTIFICATE चाहा गया है।

समिति द्वारा उक्त प्रकरण मे विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि अजमेर जिले में अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006, नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत परिभाषित कोई भी अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी का व्यक्ति / समुदाय उक्त अधिनियम / नियमों के अन्तर्गत देय किसी भी प्रकार के वन अधिकार हेतु उपरोक्त अधिनियम एवं नियम में उल्लेखित पात्रता नहीं रखता है । अतः निदेशक, विमानपतन, किशनगढ हवाई अडडा, किशनगढ द्वारा चाहा गया एफ0आर0ऐ0 प्रमाण पत्र जारी करने की सहमति प्रदान की जाती है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद,अजमेर

उप वन संरक्षक,
अजमेर

जिला कलक्टर,
अजमेर

C.S. SAINI
Asst. Manager Engg. Elect.
Airport Authority of India
Kishangarh Airport (Ajmer)

उपखण्ड अधिकारी,
किशनगढ

निदेशक,
विमानपत्तन किशनगढ हवाई अडडा,
किशनगढ

सदस्यगण :– सरोज मेघवाल

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)

क्रमांक/राजस्व/18/3154 दिनांक 11/04/2018

निमित :- श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय,
जिला परिषद अजमेर

प्राप्ति क्रमांक- 402
दिनांक- 17-4-18

विषय :- किशनगढ़ एयरपोर्ट की एप्रोच से पहाड़ी पर Obstruction Light लगाने हेतु एफआरए प्रमाण पत्र बाबत् अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के तहत् प्रमाण पत्र

प्रसंग :- श्रीमान के पत्रांक/जिपअ/वन अधिकार/2018/1256 दिनांक 02.04.2018 एवं श्रीमान जिला कलक्टर महोदय अजमेर पत्रांक/कअ/राजस्व/18/2451 दिनांक 02.04.2018 के संबंध में

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के संबंध में निवेदन है कि निदेशक, विमानपतन, किशनगढ़ हवाई अड्डा किशनढ़ द्वारा द्वारा किशनगढ़ एयरपोर्ट की एप्रोच से पहाड़ी पर Obstruction Light लगाने हेतु चाहे गये एफआरए प्रमाण पत्र के संबंध में उपखण्ड किशनगढ़ में स्थित वन भूमि क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 की क्रियान्विती के संबंध में जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजमेर के आदेश क्रमांक/कअ/वनि/जिपअ/14/8030 दिनांक 28.10.2014 द्वारा गठित उपखण्ड स्तरीय कमेटी की दिनांक 09.04.2018 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। उक्त बैठक में उपस्थित कमेटी के सदस्यों द्वारा किशनगढ़ एयरपोर्ट की एप्रोच से पहाड़ी पर Obstruction Light लगाने हेतु अनापति प्रमाण पत्र जारी किये जाने में अपने-अपने विभाग की अनापत्ति अंकित की है। अतः उक्त बैठक कार्यवाही विवरण की प्रति संलग्न कर वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु श्रीमान की सेवा में पेश है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

क्रमांक/राजस्व/18/ दिनांक

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय अजमेर को उनके पत्रांक/कअ/राजस्व/18/2451 दिनांक 02.04.2018 के संबंध में सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

C.S. SAINI
Asst. Manager Engg. Elect.
Airport Authority of India
Kishangarh Airport

D:\ABID KHAN\My Document\RAJASAV SAKHA COLLECTOR AJMER\JANRAL LETTER.doc 848

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)

बैठक विवरण

आज दिनांक 09.04.2018 को जिला कलक्टर महोदय अजमेर के निर्देशों की अनुपालना में उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ की अध्यक्षता में किशनगढ़ एयरपोर्ट की एप्रोच से पहाड़ी पर Obstruction Light लगाने हेतु एफआरए प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में वन भूमि क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के संबंध में उपखण्ड स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में निम्न अधिकारीगण उपस्थित हुए :—

1. तहसीलदार किशनगढ़
2. विकास अधिकारी पंचायत समिति किशनगढ़
3. आयुक्त नगर परिषद किशनगढ़
4. रेन्जर वन मण्डल किशनगढ़

उक्त बैठक में क्षेत्रीय वन अधिकारी किशनगढ़ द्वारा निवेदन किया कि वन खण्ड किशनगढ़ की उक्त प्रस्तावित भूमि ग्राम टोंकड़ा तहसील किशनगढ़ के खाता सं. 137 ख0नं0 238 वन विभाग के नाम दर्ज है में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी इस वन क्षेत्र में निवास नहीं करते है तथा इनका किसी प्रकार का दावा इनके कार्यालय में विचाराधीन नहीं है। भूमि प्रत्यावर्तन हेतु उप वन संरक्षक अधिकृत है। कृपया भूमि प्रत्यावर्तन संबंधी कार्यवाही वन मण्डल अजमेर के स्तर से की जाती है।

निदेशक, विमानपतन, किशनगढ़ हवाई अड्डा किशनगढ़ द्वारा किशनगढ़ एयरपोर्ट की एप्रोच से पहाड़ी पर Obstruction Light लगाने हेतु एफआरए प्रमाण पत्र चाहा गया हैं।

अतः जनहीत एवं जन कल्याणकारी योजना हेतु नियमानुसार अनापत्ति जारी की जाती है तो बैठक में उपस्थित विभागीय अधिकारीगण को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

सदस्यगण

अध्यक्ष
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

पंचायती राज विभाग

सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

(8)

कार्यालय ग्राम पंचायत, खातौली

पंचायत समिति – किशनगढ़ (अजमेर) राज.

सरपंच
श्रीमती सुनीता
मो. 8769120811

निवास :
ग्राम – चीता खेड़ा
जिला – अजमेर (राज.)

क्रमांक : 2018/19/(5)

दिनांक 24/4/18

ग्राम सभा दिनांक 24/4/2018

प्रस्ताव सं० (3) वन अधिकार समिति टोकरा की बैठक दिनांक 20/4/18 के प्रस्ताव सं० (2) पर लिये गये निर्णय अनुसार ग्राम पंचायत खातोली की ग्राम सभा मे प्रस्ताव रखा कि किशनगढ़ हवाई अड्डा हेतु चाही गयी अनापत्ती प्रमाण पत्र पर विचार विमर्श कर सर्व सहमति से निर्णय लिया गया कि टोकरा के ख.नं. 238, 239 में से 0.0027 वन भूमि प्रत्यारोपण हेतु अनापत्ती प्रदान की जाती है। उपरोक्त भूमि पर अनु० जाति जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी का व्यक्ति अथवा समुदाय निवास नही करता है। अत: अनापत्ति देने का प्रस्ताव सर्व सहमति से स्वीकार किया जाता है।

प्रस्ताव नकल सत्य प्रतिलिपि

[signature]
ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव
ग्राम पंचायत खातौली
पं.स. किशनगढ़ (अजमेर)

[signature]
सरपंच
ग्राम पंचायत खातौली
पं.स. किशनगढ़ (अजमेर) राज.

[signature]
C.S. SAINI
Asst. Manager Engg Elect.
[illegible] Authority

ग्राम सभा दिनांक 23/4/2018
ग्राम पंचायत खातोली

ANIL

कार्यालय ग्राम पंचायत खातोली की ग्राम सभा कार्यालय पंचायत समिति किशनगढ़ के आदेश क्रमांक दिनांक की अनुपालना में श्रीमति सुनिता देवी वर्मा की अध्यक्षता में किया गया जिसमें निम्नांकित अधिकारी, कर्मचारी पंचायत सदस्य तथा व्यक्ति ग्रामीणों ने भाग लिया।

1. श्रीमति सुनिता देवी वर्मा सरपंच
   सरपंच ग्राम पंचायत खातौली पं.स. किशनगढ़ (अजमेर) राज.
2. घनश्याम ज्योतिषी ग्राम विकास अधिकारी
3. दयाल राम जी वार्डपंच — दयालराम वार्डपंच (12)
4. श्याम सुन्दर चन्चावा B.E.O. किशनगढ़
5. राजु राम वार्डपंच — राजुराम विश्राम
6. सलामूद्दीन वार्डपंच सलामुद्दीन वार्ड पंच (5)

तेजाराम यूथवरी —
FES संदर्भ व्यक्ति

छोटी देवी वार्डपंच

कमला
वार्ड पंच (3)

सूरज

घनश्याम
F.E.S. संदर्भ व्यक्ति

सुलेमान
सुखदेव
इस्लामुद्दीन
Rufmil

रेखा गुजराती आंग
उर्दू शाला तोली

सान्तो देवी
अ नि

वार्ड पंच (8)
मूली देवी वार्ड पंच
अ नि

अध्यक्ष कार्यकर्ता
खातोली I उर्मिला
खातोली I पिंकी कंवर आशा
खातोली आशा ललिता कंवर

C.S. SAINI
Asst. Manager Engg. Elect.
Airport Authority of India
Kishangarh Airport (Ajmer)

मैनादेवी
अ नि

मोहनजी
अ नि

रफीक
प्रवीणलाल

कार्यकर्ता

ANIL

हुकमाराम जी भवरलाल जाट कमला देवी

शीतादेवी कानाराम

आमीना कमला देवी राजू

महेन्द्र कुमार

कैलाश किशना

धातार

[illegible]

किशोर बिरमा जाट कन्हैयालाल

रामनारायण

रघुनाथ संतोश देवी

गिता

काना मुली देवी

कानाराम रेशमा

मदन सिंह

लक्ष्मीचन्द

कालु

पानकी देवी

गिरधारी

नाथु लाल बादाम देवी

रामजीलाल

राजु

हरसुरव

रजिया

रेनरा

जमीन वाली

C.S. SAINI
Asst. Manager Engg.Elect.
Airport Authority of India
Airport (Ajmer)

रशीद खाँन   मेहैन्द्र
शिवराज
कैलाश जी

<u>प्रस्ताव नं (1)</u> M/S आर-एस मेनार्टर खातोली ने औद्योगिक सर्विवीत भूमि ख.नं. 453/2 रकबा 9 बीघा में से विखण्डित भूखण्ड सं. 01 ए क्षेत्रफल 2129.02 वर्गगज भूमि मेनार्टर फैक्ट्री का निर्माण स्वीकृति चाहने बाबत आवेदन किया गया है। बाद विचार विमर्श कर पंचायत राज के नियमानुसार 25 प्रति वर्गगज के हिसाब से राशि जमा कर निर्माण स्वीकृति जारी कर दिया जावे। प्रस्ताव सर्व सहमति से स्वीकार किया गया।

<u>प्रस्ताव नं (2)</u> सुरज्ञान W/O राजू निवासी खातोली ने पालनहार योजना का आवेदन वास्ते हस्ताक्षर ग्रामसभा में पेश किये सुरज्ञान ने अभी तक नाता नही किया है। अतः हस्ताक्षर कर वापस दिया गया तथा प्रस्ताव सर्व सहमति से स्वीकार किया गया।

<u>प्रस्ताव नं (3)</u> वन अधिकार समिति की पेकड़ा की बैठक दिनांक 20/4/18 के प्रस्ताव नं (2) पर लिये गये निर्णय अनुसार ग्राम पंचायत खातोली की ग्राम सभा में प्रस्ताव रखा गया कि किशनगढ़ हवाई अड्डा द्वारा चाही गयी अनापत्ती प्रमाण पत्र पर विचार विमर्श कर सर्व सहमति से निर्णय लिया गया कि पेकड़ा के ख न. 238, 239 में हैं 0.0027 वन भूमि प्रत्यारोपण हेतु अनापत्ती प्रदान की जाती है। उपरोक्त भूमि पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी का व्यक्ति अथवा समुदाय निवास नही करता है। अतः अनापत्ती देने का प्रस्ताव सर्व सहमति से स्वीकार किया जाता है।

C.S. SAINI
Asst. Manager Engg. Elect.
Airport Authority of India
Kishangarh Aiport (Ajmer)

सरपंच
ग्राम पंचायत खातौली
पं.स. किशनगढ़ (अजमेर) राज.

(10)

वन अधिकार समिति ग्राम टोकडा ग्राम पंचायत खातौली पं.स.किशनगढ (अजमेर) राज0

क्रमांक / 2018 / ।

दिनांक 20/4/18

आज बैठक दिनांक 20.04.2018 में लिये गये निर्णय के अनुसार प्रस्ताव संख्या 02 के तहत प्रस्तावित वन भूमि के संबंध में ग्राम टौंकडा ग्राम पंचायत खातौली में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 नियम 2008 तथा संबंधित नियम 2012 के अन्तर्गत परिभाषित कोई भी वन अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी का व्यक्ति / समुदाय उक्त अधिनियम / नियमों के अन्तर्गत उल्लेखित आवश्यक्ता नहीं रखता / प्रभावित नहीं होता है।)

अतः इस संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की अनुशंषा की जाती हैं।

अध्यक्ष,
वन अधिकार समिति
ग्राम टोंकडा

C.S. SAINI
Asst. Manager Engg.Elect.
Airport Authority of India
Kishangarh Airport (Ajmer)

18

आज दिनांक 20/4/2018 को ग्राम रोकड़ा ग्राम पंचायत (11)
खातोली तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर मे सार्व०
स्थान रा० उ० मा० वि० के सामने सार्व० स्थान कड़ला चौक
पर सभी ग्रामवासी ग्राम रोकड़ा की उपस्थिति में वन अधिकार
समिति के गठन के सम्बन्ध मे मिटींग का आयोजन
श्री हरदेवजी गुर्जर की अध्यक्षता मे किया गया।

हरदयाल जाट प्रस्ताव नं० (1) सर्व प्रथम वन अधिकार समिति के गठन की आवश्यकता के बारे मे ग्राम वासियो को अवगत कराया गया एवं इसकी महत्वता के बारे मे चर्चा की गई बाद विचार विमर्श कर सर्व सहमति से वन अधिकार समिति का गठन किया गया जो इस प्रकार है।

1. अध्यक्ष - हरदेवजी गुर्जर ग्राम रोकड़ा 9929056500
2. उपाध्यक्ष - श्री प्रभु श्री मेघवंशी " 9587489024
3. उपाध्यक्ष - दयाल जी जाट " 9799115776
4. सचिव - अ० सत्तार " 9214946693
5. सदस्य - रामरतन गुर्जर — " 9636395485
6. सदस्य - कार्तिक माली — " 9166803293
7. सदस्य - रामलाल गुर्जर — " 9929090101
8. सदस्य - उमराव जाट — " 7742250109
9. सदस्य - जान मोहम्मद "
10. सदस्य - चौथूजी दरोगा "
11. सदस्य - महावीर मीणा "

उपरोक्त गठित कमेटी का सर्व सहमति से अनुमोदन किया तथा धन्यवाद ज्ञापन सहित प्रस्ताव पारित किया गया।

C.S. SAINI
Asst. Manager (Engg-Elect.)
Airport Authority of India
Kishangarh Aiport (Rajasthan)

प्रस्ताव नं० (2) गठित कमेटी एवं उपस्थित सदस्यो एवं ग्रामवासियो ने अवगत कराया कि हमारे गांव के वन क्षेत्र मे कोई अनुसूचित जनजाति या कुनबे परिवार या परम्परागत वन निवासी निवास नही करते है। प्रस्ताव सर्व सहमति से स्वीकार किया गया। ग्राम रोकड़ा ग्राम पंचायत खातोली प्रकार दलवा रोकड़ा ख० नं० 238, 239 के से 0.0027 हे० भूमि वन भूमि प्रत्यारोपण करने हेतु अनापत्ती प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। प्रस्ताव सर्व सहमति से स्वीकार किया गया।

सरपंच
ग्राम पंचायत खातोली
प.स. किशनगढ़ (अजमेर) राज.

हरदेव प्रभुलाल दयालराम अब्दुलसत्तार
रामरतन जानमोहम्मद जाकीर रामलाल राधेश्याम उमराव कार्तिक